

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: 05(10) चिस्वा/2/2008/पार्ट

जयपुर, दिनांक:

आदेश:-

डॉ. अशोक सिंह राठौड़, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन) को विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2023 के द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय पावटा, जोधपुर में पे-माइनस पेंशन के आधार पर प्रदान की गई पुनर्नियुक्ति से तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
5. अधीक्षक एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय पावटा, जोधपुर।
6. डॉ. अशोक सिंह राठौड़, सेवानिवृत्त प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय जिला चिकित्सालय पावटा, जोधपुर।
7. कम्प्यूटर सैल/ रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid



Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.01.18 18:29:10 IST
Reason: Approved